

वितृत मंत्रालय

6.25 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2018 का पुनर्भुगतान

Posted On: 11 DEC 2017 4:40PM by PIB Delhi

6.25 प्रतिशत ब्याज वाले सरकारी स्टॉक 2018 की बकाया शेष राशि सममूल्य पर 02 जनवरी, 2018 को देय होगी। इस तिथि यानी 02 जनवरी, 2018 से इन पर कुछ भी ब्याज नहीं जुड़ेगा। परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत किसी भी राज्य सरकार द्वारा 02 जनवरी, 2018 को अवकाश घोषित किए जाने की स्थिति में संबंधित ऋण अथवा विभिन्न संबंधित ऋणों का पुनर्भुगतान उस राज्य के भुगतान कार्यालयों द्वारा इससे पिछले कार्य दिवस को किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभृति नियमन, 2007 के उप-नियमों 24 (2) और 24 (3) के तहत परिपक्व होने वाली धनराशि का भुगतान सरकारी प्रतिभृति के पंजीकृत धारक को या तो एक पे ऑर्डर, जिसमें उसके वैंक खाते का प्रासंगिक व्यौरा होगा, के जिये किया जाएगा अथवा इस रकम को उस वैंक में धारक के खाते में डाल दिया जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति की सुविधा होगी। सरकारी प्रतिभूति को सहायक सामान्य खाता वही या संघटक सहायक सामान्य खाता वही खाते या शेयर प्रमाणपत्र के रूप में रहना चाहिए। प्रतिभृतियों के संदर्भ में भुगतान सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की सरकारी प्रतिभृतियों के मूल ग्राहक अथवा उसके बाद वाले धारकों को अपने वैंक खाते का संबंधित व्यौरा अगिरम रूप से उपलब्ध कराना होगा।

हालांकि, बैंक खाते का संबंधित ब्यौरा/इलेक्ट्रॉनिक ढंग से धनराशि की प्राप्ति का अधिदेश न होने की स्थिति में नियत तिथि पर ऋण का पुनर्भुगतान सुनिश्चित करने के लिए धारक अपनी उन प्रतिभूतियों को सार्वजनिक ऋण कार्यालयों, कोषागारों/उप कोषागारों, भारतीय स्टेट बैंक एवं उसके सहयोगी बैंकों (जहां वे व्याज के भुगतान के लिए मुखांकित/पंजीकृत हैं) की शाखाओं में पेश कर सकते हैं जिनका निस्सरण या शोधन विधिवत रूप से हो चुका है। इन प्रतिभूतियों को पुनर्भुगतान की नियत तिथि से 20 दिन पहले पेश करना होगा।

वीएल/एएम/आरआरएस- 5820

(Release ID: 1512307) Visitor Counter: 26









in